



कार्यालय प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु, सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय  
नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर-302005  
(सूचना का अधिकार शाखा)

दिनांक: 28 .05.2019

फा. सं. V(Tech)RTI/39/2019/ 1992

सेवा में,

श्री तरुण कुमार सोनी,  
S/O श्री गोविन्द प्रसाद सोनी,  
चोखंडी पाड़ा, भुसावर-321406 (राज.)

विषय: - सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत चाही सूचना के क्रम में।

महोदय,

कृपया आपका सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत किया ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 21.05.2019 का सन्दर्भ देखें।

इस सम्बन्ध में लेख है कि आपके द्वारा दर्ज शिकायत पत्र दिनांक 02.04.2019 इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है। आपके द्वारा वांछित सूचना इस कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है क्योंकि जिन इकाईओं के खिलाफ आपने शिकायत दर्ज करवायी है वो अलवर आयुक्तालय के अधीन आती है।

"यदि सूचना लेने वाले व्यक्ति को सूचना से असंतुष्टि है तो वह प्रथम अपीलीय प्राधिकरण, श्री बृज लाल मीना, संयुक्त आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु, सेवा कर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, नव राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर - 302005 को इस निर्णय की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं।"

भवदीय,

-sd-

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी,  
केन्द्रीय वस्तु, सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,  
जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. The Web Master/Additional Commissioner, CGST Commissionerate, Jaipur for uploading on the Zonal Website.

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी,  
केन्द्रीय वस्तु, सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,  
Central Goods & Services Tax Commissionerate,  
जयपुर।